राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

राजस्थान रेजीडेन्सियल ऐज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)
कमरा संख्या 411, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर। 0141-2226666

क्रमांक एफ 3(C)II(94) राईस / अका. / बजट घोषणा–39(IV) / 2023 / 64 जयपुर, दिनांक 17-4-23

आदेश

वित्त एवं विनियोग विधेयक 2023–24 पर चर्चा के दौरान की गई घोषणा संख्या 10(i) की अनुपालना में अनुसूचित जाति बालक आवासीय विद्यालय वैर (भरतपुर) को कक्षा 6 से 12 तक 280 छात्र क्षमता के संचालन हेतु शिक्षा (ग्रुप–1) के आदेश क्रमांक प. 22 (6) शिक्षा–1 / 2002 दिनांक 30.04.2015 में निर्धारित नॉर्मस एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आवासीय विद्यालयों में स्वीकृत गैर–शैक्षणिक पदों के नॉर्मस आधार पर लेखा शीर्ष 2225–01–196–(22)–[01] (राज्य निधि) मद में निम्नांकित 20 नवीन पद सृजित करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:–

क्र. स.	पदनाम	पे मैट्रिक्स लेवल	पदों की संख्या	विषय	नियुक्ति का माध्यम
1	प्रधानाचार्य	L-16	1	—	शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
2	व्याख्याता	L-12	5	अनिवार्य हिन्दी, अनिवार्य अंग्रेजी, हिन्दी साहित्य, इतिहास, भूगोल	
3	वरिष्ठ अध्यापक	L-11	3	गणित, विज्ञान, तृतीय भाषा	
4	अध्यापक लेवल–2	L-10	3	हिन्दी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान	
5	शारीरिक शिक्षक ग्रेड–II	L-11	1		
6	पुस्तकालयाध्यक्ष– II	L-10	1		
7	कनिष्ठ लेखाकार	L-10	1		कोष एवं लेखा
8	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड– II	L-5	1		विभागीय (सान्याअवि)
9	लिपिक ग्रेड– II	L-5	1		
10	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	L-1	3		
	योग		20		

1. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर किसी भी राजकीय विभाग से नियमित कर्मचारी नियमानुसार प्रतिनियुक्त करने अथवा कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 के प्रावधानुसार सेवानिवृत कार्मिकों की सेवाऐं समेकित मानदेय एवं शर्तों के अध्यधीन अनुबन्धित करने की सहमति प्रदान की जाती है।
2. उक्त आवासीय विद्यालय में बागवानी, चौकीदारी, खाना बनाना, सफाई कार्य, प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रिशियन कार्य निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन जॉब बेसिस पर (Out Source) नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए कराने की सहमति प्रदान की जाती है:–
   (i) उक्त कार्य हेतु किसी भी स्थिति में सीधे रूप में व्यक्तियों की सेवाएं नहीं ली जावेगी, ना ही व्यक्तियों को एजेन्सी के माध्यम से अनुबंधित किया जायेगा।
   (ii) जॉब बेसिस पर कराये जाने वाले कार्य का निर्धारण / [illegible] विवरण अंकित करते हुए लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नि[illegible]013 के प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना सुनिश्चित क[illegible]
   (iii) व्यय उपलब्ध बजट प्रावधानों की सीमा में ही रखा जाना सुनिश्चित [illegible]।

Signature valid
Digitally signed by Hari Mohan Meena
Designation : Director
Date: 2023.04.17 11:34:52 IST
Reason: Approved

भीम

(iv) स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी।

(v) वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र संख्या 1 दिनांक 30.04.2018 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

3. आवासीय विद्यालय में क्रय की जाने वाली अनावर्तक सामग्री यथा फर्नीचर, बर्तन, किचनवेयर, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, खेल सामग्री आदि (संलग्न सूची अनुसार) विद्यालय के संचालन हेतु **तात्कालिक आवश्यकता** को दृष्टिगत रखते हुये वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए क्रय करने की सहमति प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या 162300529 दिनांक 27.03.2023 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(हरि मोहन मीना)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ 3(C)II(94) राईस / अका. / बजट घोषणा–39(iv) / 2023 / 65-85 जयपुर, दिनांक 17-4-23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा), राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सामा. न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) / आयोजना (योजना वित्त) / वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
8. जिला कलक्टर, भरतपुर ।
9. निदेशक, माध्यमिक / प्रारंभिक, शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
10. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
11. सचिव, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर ।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर ।
13. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), सामा. न्याय एवं अधि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण योजना), मुख्यावास।
15. वित्तीय सलाहकार / अतिरिक्त निदेशक (योजना), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. एसीपी (उप निदेशक) मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
17. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक / प्रारंभिक), भरतपुर ।
18. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, भरतपुर ।
19. सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भरतपुर ।
20. प्रधानाचार्य, अनुसूचित जाति बालक आवासीय विद्यालय वैर (भरतपुर)।
21. रक्षित पत्रावली।

Signature valid
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
Digitally signed by Hari Mohan Meena
Designation : Director
Date: 2023.04.17 11:34:52 IST
Reason: Approved

Z:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\1681711460183.docx
RajKaj Ref No 3637420